

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखंड अधिकारी चारु
गिरि बनाम डेला
 मुकदमा संख्या / वर्ष : 143 / 2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/6/24		<p>पत्तावली जेश हुई वहील जारीक अघापीगण को लम्पन जलि करके मने एक माह ले अधिक का लम्पन हो चुका है लम्पन अफ ताकिल लोकर प्राप्त नही हुए है अतः ताकिल लम्पन मानी जाती है लम्पन जारीक के उपरान्त अघापीगण हाजिर नही आए अतः क उनके क्रिड एक पत्तीय अत्रिवाही मी जाती है</p> <p>कहल वहील जारी मी जुने प पत्तावली का अवलोकन करने पर हम पाते है कि क अघापी वादग्रस्त कृति के लम्पनदार है एवं विवाहित कृति का विधिवत विभाजन नही हुआ है</p> <p>अतः वाद मी कहुला मो बनाए रखनेक वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्र. पह के चरण से ② में वर्णित विवाहित कृति पर उपपत्तों को ताके लम्पन क मी यथास्थिति बनाए रखने हेतु पावद डिमा जाता है</p> <p>पत्तावली के तल शकार दोकर नुं नम्बर ले कर है</p>	

(3)
 (अधीनस्थ अधिकारी)
 (अधीनस्थ, अकंजुलायपुर)